

# असाधारण आम बैठक

सोमवार, 21 दिसम्बर, 2015 सुबह 10.30 बजे

## **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Monday, 21<sup>st</sup> December, 2015 10.30 A.M.

प्रधान कार्यालय

स्टार हाउस, सी-5 जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400 051.



### **HEAD OFFICE**

STAR HOUSE, C 5,G BLOCK BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (EAST), MUMBAI 400 051

## सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक सोमवार, 21 दिसम्बर, 2015 को सुबह 10.30 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी -5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 में निम्नलिखित विशेष कारोबार करने के लिए आयोजित की जाएगी:

एक विशेष संकल्प के रूप में, विचार करने और यदि उपयुक्त माना गया तो निम्नलिखित संकल्प को आशोधनों के साथ अथवा बिना, पारित करने हेतु:

यह संकल्प िकया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्ज़न एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एंड मिटिंग्स) विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रित्तभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मितयों, स्वीकृतियों, यिद कोई हों, के अध्यधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमित प्रदान की जाए और सेबी (इश्यूए ऑफ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिकायरमेंट्स) विनियमन, 2009 सेबी – आईसीडीआर विनियमन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर और टेकओवर का पर्याप्त अर्जन) विनियमन, 2011 एवं समय –समय पर आरबीआई एवं अन्य संबन्धित प्राधिकरणों द्वारा विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों जहां बैंक के इिकटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमित है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड (इसके पश्चात इसे बोर्ड कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई सिमित भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्तक अधिकारों सिहत इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को सहमित प्रदान की जाती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी की योजनाओं (जिन्हें सामूहिक रूप से ''एलआईसी'' कहा जाएगा) को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(4) के अनुसार निर्धारित ₹ 132.06 प्रति इिकटी शेयर्स के प्रीमियम सिहत ₹ 122.06 प्रति शेयर पर नकद हेतु रु.10/ - प्रत्येक (रुपये 10 केवल) के 2,00,00,000 (दो करोड़) इिकटी शेयर्स सृजित, ऑफर, इश्यूर और आबंटित किया जाए

'<mark>'यह भी संकल्प किया जाता है</mark> कि निर्गम मूल्य, (इश्यू प्राइज) के निर्धारण की संबंधित तारीख **20 नवंबर, 2015** है।

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकािर करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मतियां, अनुमतियां और स्वीकृतियां प्रदान करते/ देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।"

''आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त इक्रिटी शेयर्स बैंक के मौजूदा इक्रिटी शेयर के साथ समरूप रैंक के होंगे और उन सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किए गए, लाभांश, यदि कोई हो, के लिए हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय पर प्रवृत्त हों।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो इकिटी शेयरों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य मामले और चीजें करे जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मित अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।"

''आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह उपरोक्त संकल्प को लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा किसी भी कार्यपालक निदेशकगण और बैंक के ऐसे किसी अन्य अधिकारी को, जैसा वह उचित समझे, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्याययोजित कर दे।''

निदेशक मंडल के आदेश से

प्रभ औं रेगों (मेलविन रेगों)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक: 20 नवंबर, 2015

### टिप्पणियां

- 1. बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान के लिए नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। वैध एवं प्रभावी होने के लिए परोक्षी फार्म बुधवार, 16 दिसम्बर, 2015 को बैंक के कार्य की समाप्ति समय अपराह्न 4.30 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय में अवश्य ही प्राप्त हो जाने चाहिए।
- 2. किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, उस बैठक जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय में बुधवार, 16 दिसम्बर, 2015 को बैंक के कार्य समाप्ति समय अपराह्न 4.30 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो।
- 3. शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची पर "परोक्षी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- 4. व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
- 5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों के अंतरण और शिकायत निवारण के लिए वे बैंक या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स शेयर प्रो सर्विसेज (इंडिया) प्रा.लि. को निम्नमलिखित पते पर लिखें:

कंपनी सचिव बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, 8 वीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. फोन: 66684444

ई-मेल : Headoffice.share@bankofindia.co.in

Website: www.bankofindia.co.in

बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स : मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि. यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया, 13 एबी संहिता वेयरहाउसिंग कॉम्पलेक्स, निकट अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन, साकीनाका, अंधेरी पूर्व, मुंबई 400 072.

टेलीफोन: 22- 67720300/ 67720400

फैक्स : 22- 28591568

ई मेल: boi@shareproservices.com

### 6. ई वोटिंग

बैंक सहर्ष, नोटिस में उल्लेख किए गए मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक ने मेसर्स प्रदीप पुरवार एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूकटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा 14 दिसम्बर, 2015 को धारित ईिकटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से डाल सकते हैं।

## 7. ई-वोटिंग अनुदेश

- (i) शेयरधारकों के मतदान का अधिकार, इस उद्देश्य हेतु यथा दिसंबर 14, 2015 (कट ऑफ तिथि) पर निर्धारित कंपनी की प्रदत्त इकिटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा।
- (ii) शुक्रवार, दिनांक 18 दिसंबर, 2015 सुबह 10.00 बजे से मतदान आरंभ होगा और रिववार, दिनांक 20 दिसंबर, 2015 को बंद होगा। उसी दिन शाम 05.00 बजे सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मोड्यूल भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- (iii) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए।
- (iv) Shareholders/Members पर क्लिक करें।

- (v) अब अपना यूज़र आईडी प्रविष्ट करें:
  - (ए) सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों का लाभार्थी आईडी
  - (बी) एनएसडीएल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी और उसके बाद 8 अंकों का क्लायंट आईडी
  - (सी) भौतिक रूप से शेयरों के धारक सदस्यों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियों क्रमांक प्रविष्ट करना चाहिए।
- (vi) अब प्रदर्शित छवि सत्यापन को प्रविष्ट करें और लॉग-ऑन पर क्लिक करें।
- (vii) यदि आपके पास डीमेट रूप में शेयर है और आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है और किसी कंपनी/संस्था के लिए आपने पहले मतदान किया हो, तो अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग किया जा सकता है।
- (viii) यदि आप पहली बार इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, तो कृपया निम्नलिखित कदमों का अनुसरण करें:

	डीमेट और भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्य
पेन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों का अपना अल्फा-न्यूमरिक पैन प्रविष्ट करें। (डीमेट शेयरधारक और
	भौतिक शेयरधारकों, दोनों के लिए लागू)
	• जिन सदस्यों ने बैंक/डिपोज़िटरी भागीदार के पास अपना पैन अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि
	वे हमें अपने नाम के पहले 2 अक्षर और अपने पैन में डीमेट अकाउंट/फोलियो नं. के 8 अंक सूचित
	करें।
	• यदि फोलियो संख्या 8 अक्षरों से कम हो तो अपने नाम के पहले दो अक्षर (कैपीटल में) के बाद
	आवश्यक शून्य (0) जोडें। अर्थात यदि आपका नाम रमेश कुमार (RAMESH KUMAR) है और अनुक्रम
	संख्या 100 है, तो पैन क्षेत्र में प्रविष्ट करें : RA00000100
जन्मतिथि	अपने डीमेट खाते में अथवा उक्त डीमेट खाते अथवा फोलियो के लिए बैंक में रिकार्ड की गई अपनी जन्मतथि
	दिन/माह/वर्ष (DD/MM/YYYY) प्रारूप में दर्ज करें।
लाभांश बैंक ब्यौरा	अपने डीमेट खाते में अथवा उक्त डीमेट खाते अथवा फोलियो के लिए बैंक के ब्यौरे प्रविष्ट करें।
	• लॉग-इन करने के लिए कृपया डीओबी अथवा लाभांश बैंक ब्योरा प्रविष्ट करें। यदि डिपोजटिरी अथवा
	बैंक के साथ ब्योरा पंजिकृत नहीं हो तो कृपया अनुदेश (V) में यथा निर्दिष्ट लाभांश बैंक ब्योरे में धारित
	शेयरो की संख्या प्रविष्ट करें।

- ix. उचित रूप से इस ब्योरे को प्रविष्ट करने के बाद SUBMIT पर क्लिक करें।
- x. भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्य उसके बाद सीधे बैंक चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। यद्यपि, डिमेट के रूप में शेयरधारक सदस्य अब पासवर्ड क्रिएशन मैन्यू पर पहुंचेंगे, जहाँ उन्हें अनिवार्य रूप से न्यू पासवर्ड फिल्ड में अपना पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा। कृपया नोट करें िक इस पासवर्ड का प्रयोग डिमेट धारकों द्वारा िकसी संस्था/कंपनी, जिसके लिए मतदान करने में वे पात्र हैं, के संकल्प के लिए मतदान करने में भी प्रयुक्त िकया जा सकेगा, बशर्ते िक वह कंपनी/संस्था सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-मतदान कराती हो। यह सलाह दी जाती है िक अपना पासवर्ड िकसी के साथ भी सांझा ना करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए सर्वाधिक सावधानी बरतें।
- xi. भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए, यह ब्योरा केवल इस नोटिस में शामिल संकल्प पर ई-मतदान के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।
- xii. संबंधित <कंपनी नाम> जिसका आप मतदान के लिए चयन करना चाहते हैं, के लिए EVSN पर क्लिक करें।
- xiii. मतदान पृष्ठ पर आप Resolution Description देखेंगे और उसके सामने मतदान के लिए Yes/No पाएंगे। आपकी इच्छानुसार Yes अथवा No विकल्प का चयन करें। यहां Yes का अर्थ है आप संकल्प का स्वीकार करते हैं और No का अर्थ है कि आप संकल्प का अस्वीकार करते हैं।
- xiv. यदि आप समस्त संकल्प ब्योरे देखना चाहते हैं तो Resolution File Link पर क्लिक करें।
- xv. आपके द्वारा मतदान के लिए निर्धारित संकल्प का चयन करने के बाद, submit पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स खुलेगा। यदि आप अपना मत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो OK पर क्लिक करें, यदि आप अपना मत संशोधित करना चाहते हैं तो cancel पर क्लिक करें और तदनुसार संशोधन करें।

xvi. एक बार confirm पर क्लिक करने के बाद आप अपना मत संशोधित नहीं कर पाएंगे।

xvii. वोटिंग पृष्ठ पर click here to print विकल्प पर क्लिक कर आप किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

xviii.यदि डिमेट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल जाता है, तो उसे यूज़र आईडी और छवि सत्यापन कोड प्रविष्ट कर forgot password पर क्लिक करने के बाद सिस्टम द्वारा मांगी गई जानकारी प्रविष्ट करनी होगी।

xix. संस्थागत शेयरधारक एवं अभिरक्षकों के लिए नोट

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात एकल व्यक्तियों, एचयूएम , एनआरआई आदि से भिन्न) एवं अभिरक्षकों को www.evotingindia. com पर लॉग-इन करना एवं कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकरण करना आवश्यक है।
- संस्था के स्टांप और हस्ताक्षर वाले पंजीकरण प्रारूप की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर प्रेषित की जानी चाहिए और उसकी प्रतिलिपि (सीसी) Pradeep.puwar@csppa.in पर भेजी जानी चाहिए।
- लॉगिन ब्योरा प्राप्त होने पर, एडिमन लॉगिन और पासवर्ड का प्रयोग कर एक अनुपालन यूज़र का सृजन किया जाना चाहिए।
   अनुपालन यूज़र, जिस खाते के लिए मतदान किया जाना है, उस खाते को लिंक करेगा।
- खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर प्रेषित की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन के बाद वे मतदान करने के लिए समर्थ होंगे।
- बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा, जो उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन प्रति, यदि कोई, को स्क्रुटिनाइज़र द्वारा सत्यापित किए जाने के लिए पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम मे अपलोड की जानी चाहिए।
- xx. ई-वोटिंग से संबंधित कोई सवाल अथवा मामला हो, तो आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे गए प्रश्न (FAQ) देख सकते हैं या www.evotingindia.com में help सेक्शन में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं।
- xxi. एक से अधिक फोलिओ/डीमैट खाते रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग वोटिंग प्रक्रिया चुनेंगे। फिर भी, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार भारत सरकार के अलावा किसी भी अन्य शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

xxii. ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक अपनी वेबसाइट पर करेगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी उसकी सूचना देगा।

xxiii.कृपया नोट करें कि एक बार वोट देने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते या वार्षिक आम बैठक में चुनाव में वोट नहीं कर सकते। तथापि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और चर्चा, यदि कोई हो, उसमें भाग ले सकते हैं।

xxiv.आप फोलियो में यूज़र प्रोफाइल ब्यौरों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आई डी दे सकते हैं जिसका उपयोग करते हुए आपको भविष्य में संसूचनाएं प्रेषित की जा सकती हैं।

#### 8. बैठक में मतदान:

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात अध्यक्ष महोदय कार्यसूची के मद के संबंध में मतदान का आदेश देंगे। मतदान होगा और उसका पर्यवेक्षण इस कार्य हेतु नियुक्त स्क्रूटिनाइज़र करेंगे। मतदान पूरा होने के बाद अध्यक्ष बैठक समाप्ति की घोषणा करेंगे। मतदान और ई-वोटिंग के जोड से तैयार परिणामों की घोषणा बैंक अपनी वेबसाइट पर करेगा और उसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को देगा।

बोर्ड के आदेश से

मिश्रे श्री

(मेलविन रेगो)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक: 20 नवंबर, 2015

## व्याख्यात्मक विवरणपत्र

सेबी-आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VII के अनुसार किए जाने के लिए यथा अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरणपत्र और प्रकटन।

- बैंक, बैंकिंग व्यवसाय एवं इससे संबंधित गतिविधियों का कारोबार करता है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी ₹ 3000 करोड़ है और आज की तिथि में बैंक की प्रदत्ता इिकटी शेयर पूंजी ₹. 792.65 करोड़ है।
- 2. वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता ₹. 555.37 करोड़ है, जो बैंक की कुल प्रदत्तक पूंजी का 70.13% है। 30 सितंबर, 2015 को पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्तियां निम्नानुसार हैं :

विवरण	राशि ₹. (करोड़ों में)	पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्ति का %
जोखिम भारित आस्तियां	3,53,452	
कॉमन इक्रिटि कैपिटल(सीईटी-1)	27,002	7.64
अतिरिक्त टियर-। पूंजी	3,566	1.01
टियर-। पूंजी	30,568	8.65
टियर -॥ पूंजी	9,052	2.56
कुल पूंजी	39,620	11.21

- 3. बैंक पिछले कई वर्षों से एक उल्लेखनीय औसत वृद्धि दर पर सामान्य गित से विकास कर रहा है। लंबी अविध के संसाधन जुटाने एवं सामान्य उधार उद्देश्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के माध्यम से कारोबार विस्तार करने हेतु निधियों की वृद्धिशील आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसािक निदेशक मण्डल विनिश्चित करे, जो समय-समय पर यथा संशोधित (सेबी आईसीडीआर विनियमन) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम / या उसकी योजनाओं (जिन्हें सामूहिक रूप से 'एलआईसी' कहा जाएगा) को इिकटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के माध्यम से, बैंक ने निधियां जुटाने का प्रस्ताव किया है।
- 4. वर्तमान विशेष संकल्प का पारित किया जाना इसलिए प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल निवेशकों को अधिमानी निर्गम एवं आबंटन कर सके।

### प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के उद्देश्य:

5. पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बासेल (॥ एवं ॥।) अपेक्षाओं के अनुपालन के उद्देश्य से, पूंजी उठाने की सतत आवश्यकता रहती है। इस प्रकार अर्जित पूंजी का प्रयोग, बैंक की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

## प्रस्ताव के अभिदान के लिए इश्यू के प्रवर्तकों/निदेशकों/मुख्य प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव

6. इक्रिटि शेयरों के प्रस्तावित ऑफर का अभिदान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और / या एलआईसी की योजनाओं द्वारा किया जाएगा।

### प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव के पूर्व और पश्चात शेयर होल्डिंग पैटर्न:

	निर्गम पूर्व (यथा 20		शेयरों का	निर्गम के पश्चात	
			प्रस्तावित आबंटन		
विवरण	शेयरों की संख्या	धारिता %		शेयरों की संख्या	धारिता %
प्रवर्तक समूह	55,53,72,168	70.13		55,53,72,168	68.40
भारत के राष्ट्रहपति					
भारतीय जीवन बीमा निगम	9,92,81,603	12.54	2,00,00,000	11,92,81,603	14.69
हमारे शेयरधारक	13,72,59,399	17.33		13,72,59,399	16.91
कुल	79,19,13,170	100.00		81,19,13,170	100.00

## समयावधि जिसके भीतर यह अधिमानी इश्यू पूर्ण किया जाएगा:

- 7. बैंक, सेबी आईसीडीआर विनियमन में निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर इश्यूं प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास करेगा।
- 8. भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने पत्र दिनांक 29 अक्तूबर, 2015 द्वारा अधिमानी आधार पर, सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के अनुरूप मूल्य पर, दो करोड़ इकिटी शेयरों का अभिदान करने हेतु 'सैद्धांतिक रूप में' अनुमोदन सूचित किया है बशर्ते किसी भी वक्त उनका एक्स्पोज़र बैंक की निर्गमोपरांत पूंजी के 15% से अधिक नहीं होगा।

## निर्गम के पहले एवं उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयरधारिता निम्नासनुसार है

निवेशकों के नाम इिकटी शेयरों की संख्या		इकिटी शेयरों की संख्या		ना में प्रतिशत
	निर्गम से पहले	निर्गम के बाद	निर्गम से पहले	निर्गम के बाद
भारतीय जीवन बीमा निगम	9,92,81,603	11,92,81,603	12.54	14.68

9. बैंक के प्रवर्तक के हैिसयत से भारत सरकार का बैंक के ऊपर नियंत्रण जारी रहेगा तथा प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणामस्वरुप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम का वोटिंग अधिकार बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10% तक सीमित रहेगा।

## प्रस्तावित अधिमानी निर्गम (इश्यू) का मूल्य निर्धारण

10. निर्गम का मूल्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VII में उल्लिखित अधिमानी निर्गम(इश्यू) हेतु यथा लागू तथा अद्यतन संशोधित विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

#### सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्रमाणनः

11. मेसर्स ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता, सनदी लेखाकार, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक ने यह प्रमाणित किया है कि शयरों का निर्गम सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार किया जा रहा है। उपर्युक्त प्रमाणपत्र की प्रति को बैंक की असाधारण आम बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी।

### लॉक-इन अवधि:

12. अधिमानी शेयरों के लिए सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेशकों को अधिमानी आधार पर जारी करने हेतु प्रस्तावित शेयर, ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष की लॉक-इन अविध के अध्यधीन रहेंगे।

### अनुपालन:

- 13. स्टॉक एक्सएचेंजों सिहत, जहां बैंक के इिकटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं, सूचीकरण करार में निर्दिष्टी इिकटी शेयरों के निरंतर सूचीकरण की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।
- 14. भारत में विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों सहित, जहां बैंक के इिकटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं, बैंक द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खंड 23 में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है कि जब अतिरिक्त शेयर्स के आबंटन द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी में वृद्धि की जानी प्रस्तावित हो, ऐसे शेयर्स, तब तक सबसे पहले बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु प्रस्तावित किए जाएंगे, जब तक कि साधारण सभा में शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया गया हो। पूर्ण प्रदत्त इिकटी शेयर आबंटित करने हेतु यह प्रस्तावित किया गया है, जो बैंक के वर्तमान शेयर धारकों को यथानुपात के अलावा हैं, उक्त प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव सेबी-आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 72 के अंतर्गत भी अनिवार्य है।

#### वचन:

- 15. बैंक वचन देता है कि सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ भी करने की आवश्यकता है, इक्किटी शेयर के कीमत की पुन: गणना करेगा।
- 16. बैंक वचन देता है कि कीमत के पुन: गणना के कारण देय रकम का इन विनियमन में निर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो आबंटिती द्वारा रकम का भुगतान न किए जाने तक यह निर्दिष्ट प्रतिभूति की अवरूद्ध अवधि जारी रहेगी।

आपके निदेशक नोटिस की मद सं.1 में दिए गए विशेष संकल्प की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार उपरोक्त संकल्प (पों) में उसी सीमा तक, वित्तीय या अन्य रूप से, संबंधित या हितबद्ध माने जाएंगे जिस सीमा तक इस बैंक में उनकी शेयरधारिता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

प्रमु अं रेगो

(मेलविन रेगो)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक: 20 नवंबर, 2015



## NOTICE

**NOTICE** is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Bank of India will be held on **Monday, the 21**st **December, 2015** at **10.30 AM** at **Bank of India Auditorium**, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051 to transact the following **Special Business**:

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 [SEBI (ICDR) Regulations] and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot 2,00,00,000 (Two Crore) equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 132.06 per share including premium of ₹ 122.06 per equity share as determined in accordance with Regulation 76(4) of SEBI ICDR Regulations on preferential basis to Life Insurance Corporation of India or schemes of LIC (collectively referred to as "LIC")

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 20th November, 2015."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/ granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *paripassu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director& CEO or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board

(Melwyn Rego)

Managing Director& CEO

Place: Mumbai

Date: 20th November 2015



#### Notes:

- 1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON POLL INSTEAD OF HIMSELF AND A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER. PROXY FORMS IN ORDER TO BE VALID AND EFFECTIVE MUST BE DELIVERED AT THE HEAD OFFICE OF THE BANK ON OR BEFORETHE CLOSING HOURS OF 4.30 P.M. ON WEDNESDAY 16<sup>TH</sup> DECEMBER, 2015.
- 2. No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairperson of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank on or before the closing hours of 4.30 P.M. on Wednesday 16th December, 2015
- 3. For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/ Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.
- 4. The Explanatory statement is annexed hereto.
- 5. The shareholders are requested to write to the Bank or to the Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Sharepro Services India Pvt. Ltd. regarding transfer of shares and for resolving grievances at the below address:

The Company Secretary
Bank of India, Head Office,
Star House, C – 5, 'G' Block
8<sup>th</sup> Floor, BandraKurla complex,
Bandra (East),
Mumbai 400 051.

Phone: 66684444. Email: headoffice.share@

bankofindia.co.in

Website: www.bankofindia.co.in

Bank's Registrar and Share Transfer Agents: M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd., Unit: Bank of India
13 AB Samhita Warehousing Complex
Off. AndheriKurla Road
Sakinaka Telephone Exchange Lane
Sakinaka, Andheri East

Tel: 22-67720300 / 67720400

Fax: 22 - 28591568

Mumbai 400 072

E mail: boi@shareproservices.com

#### 6. E-Voting

The Bank is pleased to provide e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank has appointed M/s. Pradeep Purwar & Associates, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **December 14, 2015** being the **Cut-off date** for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

#### 7. E-voting Instructions

- (i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on December 14 2015 (Cut-off Date) fixed for the purpose.
- (ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on Friday,18<sup>th</sup> December, 2015 and will end at 5.00 p.m. on Sunday 20<sup>th</sup> December, 2015. The e-voting module shall also be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on the same day.
- (iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iv) Click on shareholders
- (v) Now enter your User ID
  - (a) For CDSL: 16 digit beneficiary ID
  - (b) For NSDL: 8 Character DPID followed by 8 Digit Client ID
  - (c) Members holding shares in physical form should enter Folio number registered with the Bank.
- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/ entity, then your existing password is to be used.
- (viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha numeric `PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)  Members who have not updated their PAN with the Bank/ Depository Participant are requested
	to us the first two letters of their name and the 8 digits of the demat account/folio number in the PAN Held.  In case the folio number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two character of the name in CAPITAL letters. Eg, if your name is Ramesh Kumar with Folio number 100 then enter RA0000100 in the PAN field.
Date of Birth (DOB)	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.



#### Dividend Bank Details

Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio.

- Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the number of shares held by you as or the cut-off date in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v)
- (ix) After entering these details appropriately, click on 'SUBMIT' tab.
- (x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'password creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company / entity on which they are eligible to vote, provided that company / entity opts for e-voting through CDSL plateform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolution contained in this notice.
- (xii) Click on the EVSN for the relevant < Company Name> on which you choose to vote.
- (xiii) On the voting page, you will see `Resolution Description' and against the same the option `Yes/ No' for voting. Select the option Yes or No as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiv) Click on the "RESOLUTION FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on `SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on `CANCEL' and accordingly modify your vote.
- (xvi) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take out print out of the voting done by you by clicking on the 'Click here to print' option on the Voting page.
- (xviii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) Note for Non-Individual Shareholders and Custodians
  - Non Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and custodian are required to log on to www. evotingindia.com and register themselves as Corporates.
  - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk. evoting@cdslindia.com and CC to pradeep.purwar@csppa.in
  - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the accounts(s) for which they wish to vote on.
  - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
  - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian,
    if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xx) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- (xxi) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- (xxii) The results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.
- (xxiii) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote on poll at the Extraordinary General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.
- (xxiv)You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

#### 8. Poll at the Meeting

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order Poll in respect the item on the agenda. Members attending the meeting and who have not last their vote by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the meeting through poll. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. After conclusion of the Poll, the Chairman may declare the meeting as closed.

The Results of the Poll aggregated with the results of e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board

Place: Mumbai

Date: 20th November 2015

Managing Director& CEO



## **EXPLANATORY STATEMENT**

#### Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI ICDR Regulations.

- The Bank is in the business of the banking and its related activities. At present, the Authorised Capital of the Bank is Rs.3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is Rs. 792.65Crore.
- 2. Presently, the shareholding of Government of India in our Bank is Rs. 555.37Crore, which constitute 70.13% of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on 30<sup>th</sup> September 2015 is as under:

Particulars	Amount Rs. in Crore	% of capital funds to risk weighted asset
Risk Weighted Assets	3,53,452	
Common Equity Capital (CET-1)	27,002	7.64
Additional Tier-1 Capital	3,566	1.01
Tier-I Capital	30,568	8.65
Tier-II Capital	9,052	2.56
Total Capital	39,620	11.21

- 3. The Bank is growing at normal pace at a reasonable growth rate over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of Preferential Issue of equity shares in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 and as amended upto date to Life Insurance Corporation of India / or its schemes(collectively referred to as "LIC")
- 4. The present Special Resolution is proposed to enable the Board of Directors of the Bank to make the preferential issue and allotment to Investors.

#### Objects of the proposed Preferential Issue:

5. With a view to comply with BASEL (II & III) requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

#### Proposal of the Promoters/ Directors/ Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

The proposed offer of equity shares will be subscribed by Life Insurance Corporation of India (LIC) and or schemes of LIC.

#### **Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:**

	Pre Issue (As on 2015		Proposed Allotment of	Post Iss	ue
Particulars	No. of Shares	% of Holding	Shares	No. of Shares	% of Holding
Promoter Group The President of India	55,53,72,168	70.13		55,53,72,168	68.40
LIC of India	9,92,81,603	12.54	2,00,00,000	11,92,81,603	14.69
Other Shareholders	13,72,59,399	17.33		13,72,59,399	16.91
Total	79,19,13,170	100.00		81,19,13,170	100.00

#### The timeline within which the preferential issue shall be completed:

- 7. The Bank will endeavor to complete the Issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.
- 8. The Life Insurance Corporation of India vide their letter dated 29th October 2015 communicated their `in principle approval' for subscripting of two crore equity shares on preferential basis, at a price as per SEBI (ICDR) Regulations, 2009, subject to total exposure not exceeding 15% of post issue capital of the Bank at any point of time.



#### The Pre and Post Issue shareholding of Life Insurance Corporation of India is as under:-

Name of Investors	No. of equity shares		No. of equity shares Percentage to Capital		e to Capital
	Pre Issue	Post Issue	Pre Issue	Post Issue	
Life Insurance Corporation of India	9,92,81,603	11,92,81,603	12.54	14.69	

9. Government of India, being Promoters of the Bank will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

In terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the voting right of Life Insurance Corporation of India will be restricted to 10% of the total voting right of all the shareholders of the Bank.

#### **Pricing of the proposed Preferential Issue:**

 The Issue Price will be determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended upto date.

#### **Certification from Statutory Auditors:**

11. M/s. Grover Lalla and Mehta, Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Bank, have certified that the issue of shares is being made in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. A copy of the said certificate will be available at the Extraordinary General Meeting.

#### Lock-in period:

12. As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the Investors shall be subject to a lock-in of one year from the date of Trading Approval.

#### Compliance:

- 13. The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- 14. Clause 23 of the Listing Agreements executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed, provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI-ICDR Regulations 2009.

#### **Undertakings:**

- The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- 16. The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

Your Directors recommend, the Special Resolution as set out in the Notice.

None of the Directors or Key Managerial Personnels of the Bank and their relatives at concerned or interested, financially or otherwise in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank if any.

By order of the Board

(Melwyn Rego)

Managing Director& CEO

Place : Mumbai

Date: 20th November 2015

BOI ★

## बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

		(2.7) 3	
फोलियो नं		डीपी आईडी नं	
(यदि डीमेट न किया गया हो)		ग्राहक आई डी नं	
		(यदि डीमेट किया गया हो)	
		परोक्षी फार्म	
	(शेयरधारक	द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)	
मैं/हम	निवासी	ज़िला	राज्य
बैंक	ऑफ़ इंडिया का/के शेयर	धारक हूं/हैं और मैं/हम एतदद्वारा श्री/श्रीमती नि	वासी
		राज्य	
		निवासी	
ज़िला	राज्य	को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से सो	मवार
दिनांक 21 दिसंबर, 2015 प्रा	त: 10.30 बजे और बैठक	5 स्थगगित होने पर पुन:निर्धारित समय पर आयोजित बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरध	ारकों
की बैठक में और संबंधित बैठ	क के स्थगन की स्थिति में	मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं।	
माह	की	2015 को हस्ताक्षरित।	
परोक्षी के हस्ताक्षर			
नामः			
पताः		_	
			ţ

## परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- 1. कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
  - क. एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
  - ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों।
  - ग. निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
- 2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
- 3. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पाँवर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पाँवर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में निम्न पते पर पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो :-
  - बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051.
- 4. बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत, अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
- 5. विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- 6. परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक वार्षिक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- 7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।



## **Bank of India**

Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, BandraKurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Folio No.			DP ID No	o	
(if not dematerialised)			Client ID	No	
			(if demat	erialised)	
	PROXY I	FORM			
	(To be filled in and signed	d by the Sharel	holder)		
I/We,	re:	sident of			
in the district of	in the state of_		being	g a shareholdei	r/shareholders of
Bank of India, hereby appoint	Shri/Smt				_,resident of
	in the district of	in the s	state of		or
failing him/her Shri/Smt		resident of			in
the district of	in the state of	as my	our proxy to	vote for me/u	s and on my/our
behalf at the Meeting of the shany adjournment thereof.	nareholders of Bank of India to be	e held on Mond	day,21 <sup>st</sup> ,Dece	ember 2015 at 1	10.30 A.M.and at
Signed this	day of	_2015.			•
Signature of Proxy					
Name				Revenue	
				Stamp	
			Signature	of first named/	sole shareholder

#### INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless,
  - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by his/her attorney, duly authorised in writing.
  - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
  - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
- 2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
- 3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at
  - Bank of India, Share Department Head Office, 8th Floor Star House, C-5, 'G' Block, BandraKurla C o m p l e x , Bandra (East) Mumbai 400 051.
- 4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting.
- 7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank



प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

## उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

## असाधारण आम बैठक हेत्

दिनांक: 21 दिसम्बर, 2015, समय: प्रात: 10.30 बजे

### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date:21st December, 2015, Time 10.30 AM

Bank of India Auditorium, Star House, C 5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051

### उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

### **ATTENDANCE SLIP**

(To be surrendered at the time of Entry)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) सदस्य/परोक्षी/एआर)	फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं.	शेयरों की संख्या
NAME : IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	Folio No./ Client ID No.:	No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the shareholder / proxy / Representative present

### प्रवेश पास

(पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखा जाए)

### **ENTRY PASS**

(To be retained throughout the meeting)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) सदस्य/परोक्षी/एआर)	फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं.	शेयरों की संख्या
NAME : IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	Folio No./ Client ID No.:	No. of Shares

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/परोक्षियों अथवा प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र को विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्रतिनिधियों को लौटा दिया जायेगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी यदि आवश्याक समझा गया तो प्रवेश के बारे में फिर से सत्यापन/जांच की जा सकती है। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश के लिए उपस्थिति पत्र की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की जायेगी।

P.S.: पश्चलेख: बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे। No gifts / gift coupons will be distributed at the meeting.



# महत्वपूर्ण जानकारी

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने फोलियो/डीमैट खाते में निम्नलिखित ब्योरे अपडेट करें: (फार्म संलग्न है)

- 1. ई-मेल आई डी
- 2. मोबाइल नंबर
- 3. पैन नंबर (आयकर)
- 4. बैंक खाते का ब्यौरा
- 5. शेयरों का नामांकन (फार्म बैंक की वेबसाईट पर उपलब्ध है) इससे आपको सभी सूचनाएं, लाभांश भुगतान इत्यादी तत्परता से प्राप्त होंगी
- जिन शेयरधारकों के पास अब भी भौतिक स्वरूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उन्हें डीमैटीरियलाइज़ करवा लें।
   ये सुविधाएं बैंक ऑफ़ इंडिया की शाखाओं में भी उपलब्ध हैं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :-

फोन 022 67720300

ई-मेल : headoffice.share@bankofindia.co.in

boi@Shareproservices.com

वेबसाइट : www.bankofindia.co.in

## **Important Information**

Shareholders are advised to update the following details in their Folio/Demat Account: (Form Enclosed)

- 1. E-Mail id
- 2. Mobile Number
- 3. PAN Number (Income Tax)
- 4. Bank Account details
- Nomination of Shares (Form is available on Bank's website)
   It will help you to get all the notices, Dividend payments etc. promptly.
- We request Shareholders, who are still holding shares in Physical form, may kindly get the same dematerialized. These services are also available with Bank of India Branches.

For more details you may contact

Phone - 022 67720300

E-Mail: headoffice.share@bankofindia.co.in

boi@Shareproservices.com

Website: www.bankofindia.co.in



<b>C</b> .		
ादनाक	•	

कंपनीसचिव बैंक ऑफ़ इंडिया प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई - 400 051

महोदय,

## बैंक ऑफ़ इंडिया इक्विटी शेयर- रिकॉर्ड को अपडेट करना

मैं/ह <u>म</u> ,	बैंक के	इकिटी शेयरधारक आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने रजिस्ट्रार एवं शेय
ट्रांस्फर	एजेंटों को निम्नलिखित जानकारी देकर मेरे/हमारे शेयर खारे	ने को अद्यतन करें:-
1.	फ़ोलियो नंबर	
2.	प्रमाण पत्र नंबर	
3.	शेयरों की संख्या	
4.	ई मेल आईडी	
5.	मोबाइल नंबर	
6.	पीएएन नंबर (आयकर)	
7.	बैंक खाता नंबर और खाता प्रकार लाभांश प्राप्त करने हेत्	
8.	बैंक एवं शाखा का नाम	
9.	आईएफएससी कोड (चेक पन्ने पर दिया हुआ)	
10.	मेरे नाम पर जो शेयर हैं मैं उनके लिए नामांकन फॉर्म	हाँ/नहीं (यदि हाँ है तो आपको नामांकन फार्म भेजा जाएगा या आप बैंक
	भरना चाहता हॅ	की वेबसाईट www.bankofindia.co.in से डाउनलोड कर सकते है।

शेअर धारक कृपा एक रद्द किया हुआ चेक का पन्ना व पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें.

सधन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षर सभी शेयरधारकों के नाम फोन नं.

नोट: शेयरधारक जिनके पास डीमैट रूप में शेयर हैं वे अपना रिकॉर्ड उस डिपॉज़िटरी सहभागी से अपडेट कराएं जहां उनका डीमैट खाता है.



Date:	

The Company Secretary Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex Mumbai - 400 051

Thanking you,

Dear S	,	Shares- Updation of Record
		uity shareholder(s) of the Bank request you to get the my/ our
1.	Folio Number	
2.	Certificate Number	
3.	Number of Shares	
4.	E Mail id	
5.	Mobile Number	
6.	PAN Number (Income Tax)	
7.	Bank Account Number and Type of Account for getting Dividend	
8.	Name of the Bank and Branch	
9.	IFSC Code (Given on the Cheque leaf)	
10.	I want to fill Nomination form for the Shares in my name	Yes / No (If yes, Nomination Form will be sent seperetaly or you can download the same from Bank's website i.e. www. bankofindia.co.in)

Yours Faithfully,

Signatures Name of All Shareholders Phone No.

Note: Shareholders Holding Shares in Demat form may get their record updated with their Depository Participant, where they are maintaining Account.

The Shareholders should also enclose a copy of cancelled cheque leaf and PAN Card